मु0न0:—75 / 2023

उनवानः— मगना देवी बनाम गुड्डी देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 75 / 2023

दिनांकः— 20.06.2023

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

मगना देवी उर्फ मगनी देवी पत्नि परभाती लाल जाति मीना निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम।

(वादीया)

बनाम

1. गुड्डी बाई पत्नि मुकेश पुत्र कल्याण सहाय मीना पुत्री प्रभू मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम हालवासी अकबरपुर (सारापाडा) तहसील महवा जिला दौसा।
2. सुरेश बाई पत्नि सुरेश पुत्र कल्याण सहाय मीना पुत्री प्रभू मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम हालवासी अकबरपुर (सारापाडा) तहसील महवा जिला दौसा।
3. ठण्डी पुत्र अर्जुन मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम।
4. फतेह सिंह उर्फ फत्या पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत नाम दुरूस्ती, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट एडवोकेट (वादीया)

निर्णय

दिनांक 23.06.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1957 / 0.18, 1958 / 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.54 है0 मे वादीया 23 / 25 हिस्से की, प्रतिवादीया न0 1, 1 / 25 हिस्से की, तथा प्रतिवादीया न0 2, 1 / 25 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी न0 1 व 2 ने मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है वादीया का उक्त आराजीयात के अपने हिस्से मे आई भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है लेकिन उक्त भूमि का रिकार्डेड बटवारा नही होने से वादीया एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के मध्य डोल मेड के संबध मे आये दिन विवाद बना रहता है, प्रतिवादी न0 1 व 2 का सहयोग प्रतिवादी न0 3, 4 करते है जिसका प्रतिवादीगणो का कोई अधिकार नही है।

वादीया द्वारा वादपत्र मे अपना हिस्सा 23 / 25 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीया न0 1 व 2 के भाई व मॉ से तथा प्रतिवादी न0 3 व उसके भाईयो से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है लेकिन प्रतिवादी न0 3 व 4 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो वादीया के अकेले होने का फायदा उठाकर वादीया के हिस्से व कब्जे की आराजी को जोतने बोने मे प्रतिवादीया न0 1 व 2 से मिलकर आये दिन विवाद करते रहते है और झगडा फसाद करते रहते है।

वादीया का नाम मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे वादीया का नाम श्रीमति मगना देवी पत्नि परभाती लाल दर्ज है जबकि हाल जमाबन्दी मे राजस्व कर्मचारियो ने वादीया का नाम मगना देवी के स्थान पर मगनी देवी दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवाने के लिये वादीया ने तहसीलदार टोडाभीम से निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार टोडाभीम ने मना कर दिया इसलिये यह दावा बावत नाम दुरूस्ती भी पेश करना आवश्यक हुआ है।

बॉका दिनांक 10.04.2023 को तहसीलदार टोडाभीम के समक्ष नाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजूद भी नाम दुरूस्त नही किया तथा दिनांक 10.06.2023 को प्रतिवादीया न0 1 व 2 द्वारा विधिवत बटवारा कराने से इन्कार करने व वादीया को अपने हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादीया न0 3 व 4 के सहयोग से शांतिपूर्वक काश्त नही करने देने व वादीया को बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम दावा अन्दर हाजा म्याद पेश है।

अतः दावा वादीया वखिलाफ प्रतिवादीगण बावत नाम दुरूस्ती इस आशय से डिक्री किया जावे कि वादीया का नाम हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मगनी देवी पत्नि परभाती लाल के स्थान पर मगना देवी पत्नि परभाती लाल दर्ज किया जावे और इसी प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड मे किया जावे।

दावा वादीया बखिलाफ प्रतिवादी न0 1 व 2 बावत तकास्मा आराजीयात डिक्री किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिक्री किया जावे कि ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 1957/0.18, 1958/0.36 कुल कितात 2 कुल रकवा 0.54 है0 मे वादीया के 23/25 हिस्से का , तथा प्रतिवादीया न0 1 के 1/25 हिस्सा तथा प्रतिवादीया न0 2 के 1/25 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर मुताबिक हिस्सा तकास्मा कराये जाने बावत तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मुताबिक हिस्सा वादीया बटवारा स्कीम तलब किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट वादीया का दावा फाईनल डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा बाद बहस व सुनवाई दिनांक 22.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम खोहरा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	मगना देवी पत्नि परभाती लाल मीना निवासी सुजानपुरा	1957 1958	0.1504 है0 0.3464 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.4968 है0
2	गुड्डी बाई, सुरेश बाई पुत्रिया प्रभू मीना सा.देह	1957/1 1958/1	0.0296 0.0136
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.0432 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री [illegible]

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:24 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली